

प्रेस नोट

KFA
[Signature]

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा की अधिसूचना संख्या SEC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 द्वारा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 की धारा 9 के अनुसार नगर निगम रोहतक की वोटर लिस्ट का कार्य निम्न अनुसार दिये गए कार्यक्रम के अनुसार करवाया जाना है। प्रस्तावित नगर निगम वोटर लिस्ट को उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, संशोधन अधिकारियों के मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्रों (VICC) में तथा जिला प्रशासन एवं नगर निगम की वेबसाईट क्रमशः (www.rohtak.gov.in & www.mcrohtak.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं प्रस्तावित नगर निगम वोटर लिस्ट के दावों व आत्तियों के फार्म भी निशुल्क उपरोक्त सभी कार्यालयों व वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम के सभी वार्डों के वोटर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दावों तथा आपत्तियों के लिए जल्द ही 08 संशोधित अधिकारी एवं मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्र (VICC) स्थापित किये जा रहे हैं, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवा दी जायेगी।

i.	The ward wise and booth wise photo based draft electoral rolls of all wards of these Corporations referred to above shall be prepared as per delimitation Notification No. 18/11/2018-3C1, dated 11-04-2018 respectively, by distributing the electros of the respective areas of Legislative Assembly or part thereof, into the wards of these Corporations (mentioned at para 2) on the basis of latest Assembly electoral rolls published on 10 th January, 2018 with reference to 1 st January 2018 as qualifying date with supplements. [Rule-4(1)].	04.06.2018 to 11.06.2018
ii.	Publication of draft electoral rolls of all the wards of these Corporation as referred in sub para (i) above for inviting claims and objections. [Rule-4(3)].	12.06.2018
iii.	Last date by which claims and objections shall be presented to the Revising Authority. [Rule-4(4)(i)].	18.06.2018 (Except 17.06.2018) (up to 03:00 PM)
iv.	Last date by which the claims and objections shall be disposed of by the Revising Authority. [Rule-4(4)(v) & (vii)].	29.06.2018 (except 24.06.2018)
v.	Last date for filing appeals with the Deputy Commissioner against the order of Revising Authority. [Rule-4 (4) (viii)]	04.07.2018
vi.	Last date for disposal of appeals by the Deputy Commissioner. [Rule-4(4)(viii)].	07.07.2018
vii.	Final publication of ward wise Electoral Rolls. (Rule-4 (4) (ix)	18-07-2018

पृ० क्रमांक

इसकी एक प्रति जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, रोहतक को भेजते हुए लिखा जाता है कि इसे सभी समाचार पत्रों के रोहतक संस्करण में छपवाना सुनिश्चित करें।

[Signature]
उपायुक्त रोहतक।
दिनांक

[Signature]
उपायुक्त रोहतक।